

प्रेस नोट दिनांक 06-02-2024

थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा 25000 रु के इनामिया वांछित गैगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मय अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं श्री आलोक प्रियदर्शी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराध / अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 06-02-2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 644/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के वांछित 25000 रु के इनामिया अभियुक्त फिरासत पुत्र जफरुद्दीन निवासी ग्राम सालारपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं को मय अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना क्रम :-

आज दिनांक 06.02.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं के द्वारा एक गैगस्टर का अभियुक्त - फिरासत पुत्र जफरुद्दीन नि0 ग्राम सालारपुर थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं जो काफी समय से वांछित चल रहा था इसके उपर 25000 रूपये का इनाम रखा गया था अभि0 उपरोक्त को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार शुदा अभियुक्त फिरासत उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिविल लाईन पर मु0अ0सं0 83/24 धारा 3/25(1-B)(a) आर्म्स एक्ट बनाम फिरासत पुत्र जफरुद्दीन नि0 ग्राम सालारपुर थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं। पंजीकृत किया गया। अभि0 फिरासत उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

1. गिरफ्तारी का स्थान –

- नादो गोटिया फुलवाया चौराहा क्षेत्र थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं

2. गिरफ्तार किये गये अभि0 का नाम –

- फिरासत पुत्र जफरुद्दीन नि0 ग्राम सालारपुर थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं

3. अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

- मु0अ0सं0 – 159/16 धारा – 60 आब.अधि. थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं।
- मु0अ0सं0 – 1115/17 धारा – 60 आब.अधि. थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं।
- मु0अ0सं0 – 174/20 धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं।
- मु0अ0सं0 – 290/22 धारा – 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं।
- मु0अ0सं0 – 11/23 धारा – 3/5/8 सी.एस एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं।
- मु0अ0सं0 – 644/23 धारा – 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।